UPMH010007362026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,त्वरित न्यायालय–01, महराजगंज।

उपस्थितः–शैलेन्द्र वर्मा, एच.जे.एस. (UP 6426)

आपराधिक निगरानी सं. 40/2026

1. राजबली पुत्र स्व. औरी उम्र लगभग 85 वर्ष
साकिन ग्राम बहदुरी थाना कोल्हुई, जनपद महराजगंज

.....प्रार्थी/निगरानीकर्ता

बनाम

1. उत्तर प्रदेश सरकार
2. गनगन उर्फ हजरत अली पुत्र जलालुद्दीन
3. जुबेर आलम पुत्र जलालुद्दीन
4. सजाउद्दीन पुत्र एनाउल्लाह
साकिनान ग्राम नैनसर, थाना बृजमनगंज, जनपद महराजगंज
5. सुशीला देवी पत्नी देवानन्द
6. देवानन्द पुत्र अज्ञात
साकिनान ग्राम पकरडीहा थाना कोल्हुई जनपद महराजगंज

.....विपक्षीगण

निर्णय

1. प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी, निगरानीकर्ता/अभियुक्त की ओर से विद्वान अवर न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट फरेन्दा जनपद महराजगंज द्वारा प्रकीर्ण वाद संख्या 555/2025 राजबली बनाम गनगन उर्फ हजरत अली आदि थाना फरेन्दा जनपद महराजगंज के मामले में पारित आदेश दिनांकित 28.11.2025 से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत की गयी है जिसमें विद्वान अवर न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173 (4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को निरस्त करने का आदेश पारित किया गया है।

2. निगरानीकर्ता/प्रार्थी की ओर से निगरानी में कथन किया गया है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 28.11.2025 एकदम विधि एवं तथ्य के विपरीत है इसलिए निरस्त होने योग्य है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 28.11.2025 विद्वान मजिस्ट्रेट के व्यक्तिगत सम्भावना व व्याख्या पर

आधारित है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आलोच्य आदेश पारित करते समय महत्वपूर्ण तात्विक अनियमितता बरता गया है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय मनमाने तरीके से विधि व्यवस्था लगाकर जो इस पत्रावली में लागू नहीं है, पर आदेश पारितक करने भारी भूल किया है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मनमाने तौर पर अपना आलोच्य आदेश गलत अभिमत के आधार पर प्रकीर्ण वाद संख्या 555/2025 को खारिज करके विधिक एवं तात्विक अनियमितता कारित किया गया है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का यह अभिमत की मामला सिविल प्रकृति का प्रतीक होता है, बिल्कुल गलत निष्कर्ष है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का यह अभिमत की विपक्षीगण ने किन शब्दों का उपयोग किया है, स्पष्ट नहीं, बिल्कुल गलत निष्कर्ष है। दिनांक 17.12.2022 को जब विपक्षीगण से जमीन विक्रय की बातचीत 10 लाख रूपये में हुई और उसके बाद जब बैनामा कराने आए तो रजिस्ट्रार ने पूछा कि जो पैसा बैनामा में लिखा गया है आपको मिल गया है तो हम पार्थी ने कहा कि बैनामे में पैसा कितना लिखा है मुझे ज्ञात नही सम्पत्ति को 10 लाख मे मै बेच रहा हूँ और अभी पैसा नही मिला है तो विपक्षीगण कहने लगे कि आप बैनामा करिए अभी आपको 10 लाख का चेक दे रहे हे जाकर कैश करा लीजिएगा विपक्षीगण की बातों पर विश्वास करके रजिस्ट्री आफिस में अंगूठा लगा दिए रजिस्ट्री के बाद विपक्षीगण द्वारा दिए गए चेक को लेकर बैंक गया तो बैंक वाले कहे कि यह चेक चेक नम्बर 507620 दस लाख का नही है बल्कि एक लाख का है जिस पर तारीख गलत लिखा है तथा चेक पर हस्ताक्षर भी नही है यह चेक कैश नही हो सकता यह नकली चेक है। प्रार्थी उक्त चेक को लेकर विपक्षीगण के पास गया और कहा कि चेक कैश नही हो रहा है आप लोग मुझे गलत तारीख और गलत रकम भरकर बिना हस्ताक्षर किये प्रार्थी के वृद्धावस्था अनपढ़ गवार होने का नाजायज फायदा उठाकर धोखा देकर छल कपट करके नकली चेक दिया है तब विपक्षीगण हंसने लगे और कहे कि हम लोग पैसा नकद आपको कुछ दिन मे दे देगे तब से 14.08.2025 तक कई बार पैसा मागने पर विपक्षीगण पैसा नही दिये और विपक्षीगण आमादा फौजदारी होकर भद्दी भद्दी गाली देते हुए जान से मारने की धमकी देने लगे तब प्रार्थी ने दिनांक 14.08.2025 को थानाध्यक्ष फरेन्दा को प्रार्थना पत्र दिया कोई कार्यवाही न ही तो श्रीमान पुलिस अधीक्षक महराजगंज को जरिए रजिस्टर्ड सूचना दिनांक 18.09. 2025 को दिया लेकिन कोई कार्यवाही नही हुई तब प्रार्थी ने माननीय अधीनस्थ न्यायालय मे 173 (4) बी.एन.एस.एस. के तहत मकदमा दाखिल किया तथा यह कथन प्रार्थी / निगरानीकर्ता के अधिवक्ता द्वारा बहस विद्वान अधीनस्थ न्यायालय मे कहा गया परन्तु विद्वान मजिस्ट्रेट ने इस पर गौर न करके मनमाने तौर पर प्रार्थी / निगरानीकर्ता का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173 (4) बी.एन.एस.एस. निरस्त कर दिया गया। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय

ने अपने क्षेत्राधिकार का सही ढंग से प्रयोग न करके अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर कुतर्क के आधार पर आलोच्य आदेश पारित किया गया है और निगरनीकर्ता का प्रकीर्ण वाद संख्या 555/2025 अन्तर्गत धारा 173 (4) बी.एन.एस.एस. विधि विरूद्ध तरीके से दिनांक 26.11.2025 को निरस्त कर दिया गया। ऐसी दशा में निगरानी स्वीकार करते हुए विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 28.11.2025 को निरस्त किया जाना न्यायासंगत एवं आवश्यक है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार करते हुए विद्वान अधीनस्थ न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट फरेन्दा द्वारा प्रकीर्ण वाद संख्या 555/2025 राजबली बनाम गनगन उर्फ हजरत अली आदि मे पारित आलोच्य आदेश दिनांक 28.11.2025 को निरस्त करते हुए प्रार्थी का प्रर्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173 (4) बी.एन.एस.एस. स्वीकार करने की कृपा किया जावे।

3. निगरानीकर्ता/ अभियुक्त द्वारा निगरानी के साथ अपने कथनों के समर्थन में प्रश्नगत आदेश दिनांकित 28.11.2025 की प्रमाणित प्रति कागज संख्या 6 ख से दाखिल किया है।

4. प्रश्नगत मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 17.12.2022 को जब विपक्षीगण से जमीन विक्रय की बातचीत 10 लाख रूपये में हुई और उसके बाद जब बैनामा कराने आए तो विपक्षीगण द्वारा कहा गया कि आप बैनामा करिए अभी आपको 10 लाख का चेक दे रहे हे जाकर कैश करा लीजिएगा। रजिस्ट्री के बाद विपक्षीगण द्वारा दिए गए चेक को लेकर बैंक गया तो बैंक वाले कहे कि यह चेक चेक नम्बर 507620 दस लाख का नही है बल्कि एक लाख का है जिस पर तारीख गलत लिखा है तथा चेक पर हस्ताक्षर भी नही है यह चेक कैश नही हो सकता यह नकली चेक है। प्रार्थी उक्त चेक को लेकर विपक्षीगण के पास गया और कहा कि चेक कैश नही हो रहा है आप लोग मुझे गलत तारीख और गलत रकम भरकर बिना हस्ताक्षर किये प्रार्थी के वृद्धावस्था अनपढ़ गवार होने का नाजायज फायदा उठाकर धोखा देकर छल कपट करके नकली चेक दिया है तब विपक्षीगण कहे कि हम लोग पैसा नकद आपको कुछ दिन मे दे देगे तब से 14.08.2025 तक कई बार पैसा मागने पर विपक्षीगण पैसा नही दिये और विपक्षीगण आमादा फौजदारी होकर भद्दी भद्दी गाली देते हुए जान से मारने की धमकी देने लगे। प्रार्थी ने इस सम्बंध में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महराजगंज को प्रार्थना पत्र दिए, परन्तु कोई कार्यवाही न होने पर प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

5. विद्वान अवर न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट फरेन्दा जनपद महराजगंज द्वारा सम्बंधित थाने से आख्या मंगायी गयी, जिसमें थाने पर कोई अभियोग पंजीकृत होना नहीं बताया गया एवं विद्वान अवर न्यायालय

द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों को दृष्टिगत रखते हुए आवदेक के कथनों पर अविश्वास करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173 (4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता निरस्त कर दिया गया है, जिससे क्षुब्ध होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

6. पक्षकार गैर हाजिर हैं। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पक्षकार लंबे समय से गैर हाजिर हैं। कई बार अंतिम अवसर भी दिए गए है। उसके बावजूद भी बहस करने हेतु कोई उपस्थित नहीं आया। दाण्डिक विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि दाण्डिक निगरानी को गुण दोष पर ही निर्णित किया जायेगा। तदानुसार पत्रावली निर्णय हेतु नियत की गयी। मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस दाण्डिक निगरानी का निस्तारण गुण दोष पर किया जाता है।

समीक्षा एवं निष्कर्ष

7. प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी, निगरानीकर्ता/प्रार्थी की ओर से विद्वान अवर न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट फरेन्दा जनपद महराजगंज द्वारा प्रकीर्ण वाद संख्या 555/2025 राजबली बनाम गनगन उर्फ हजरत अली आदि थाना फरेन्दा जनपद महराजगंज के मामले में पारित आदेश दिनांकित 28.11.2025 से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत की गई है, जिसमें विद्वान अवर न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173 (4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को निरस्त का आदेश पारित किया गया है।

8. यहाँ सर्वप्रथम धारा–173 (4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के सम्बंध में मजिस्ट्रेट को प्रदत्त शक्तियों एवं उसके सम्बंध में दी गयी विधियों का उल्लेख करना समीचीन होगा।

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की निर्णयज विधि **रामबाबू गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य 2001 Cr. L.J. Page 3363** में यह अवधारित किया गया है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता प्राप्त होने पर मजिस्ट्रेट प्रार्थना पत्र में वर्णित लगाये गये आरोपों के सम्बंध में अपने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करेगा और ऐसे मामले को मजिस्ट्रेट परिवाद के रूप में भी दर्ज कर सकता है अथवा उसे निरस्त कर सकता है।

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वार **सुखवासी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य 2008(1) A.C.R. Page 170 (इलाहाबाद)** में यह अवधारित किया गया है कि मजिस्ट्रेट को धारा–156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रार्थना पत्र को निस्तारित करते समय विवेकाधीन शक्ति प्रदत्त हैं और वह ऐसे प्रार्थना पत्र को निरस्त कर सकता है अथवा उसे परिवाद के रूप में भी दर्ज कर सकता है।

9. उपरोक्त निर्णयज विधियों के अवलोकन से विदित होता है कि धारा– 173 (4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का निस्तारण करते समय मजिस्ट्रेट को विस्तृत शक्तियां प्राप्त है। वह मामले को खारिज कर सकता है एवं उसे परिवाद के रूप में दर्ज कर सकता है अथवा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश पारित कर सकता है।

10. आलोच्य आदेश के अवलोकन से विदित होता है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा आवेदक के प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों की विस्तृत समीक्षा की है और यह भी निष्कर्ष दिया है कि चूँकि प्रश्नगत प्रकरण के संदर्भ में प्रश्नगत बैनामा किसी न्यायालय द्वारा उस पर कोई अभिमत नहीं दिया गया है तथा यह भी निष्कर्ष दिया है कि यह मामला सिविल प्रकृति का प्रतीत होता है और उसके संदर्भ में सक्षम न्यायालय से अनुतोष प्राप्त कर सकता है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा आवेदक के प्रार्थना पत्र पर विस्तार से समीक्षा करते हुए निष्कर्ष दिया है। विद्वान अवर न्यायलय द्वारा दिये गये निष्कर्षों में कोई विधिक त्रुटि अथवा क्षेत्राधिकार सम्बन्धी प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा विधि सम्मत आदेश पारित किया गया है। उक्त आधारों पर विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा आवदेक के कथनों पर अविश्वास करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173 (4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता निरस्त कर दिया गया है। आलोच्य आदेश के अवलोकन से यह विदित होता है कि विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा अपने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए उसके समक्ष उपलब्ध साक्ष्यों पर विधि अनुसार विचार करते हुए आलोच्य आदेश पारित किया गया है। मेरी राय में आलोच्य आदेश में किसी प्रकार की विधिक, तथ्यात्मक एवं क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि का होना नहीं पाया जाता है।

11. उपरोक्त समीक्षा से, मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि आलोच्य आदेश विधि एवं तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए पारित किया गया है। आलोच्य आदेश में किसी प्रकार की क्षेत्राधिकार, तथ्यों एवं विधि सम्बंधी त्रुटि का होना नहीं पाया जाता है। आलोच्य आदेश में कोई हस्तक्षेप करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। इस प्रकार मैं निगरानी में कोई बल नहीं पाता हूँ। निगरानी में कोई बल न होने के कारण निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है तथा आलोच्य आदेश पुष्ट किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

12. दाण्डिक निगरानी सं.–40/2026 निरस्त की जाती है। विद्वान अवर न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट फरेन्दा जनपद महराजगंज द्वारा प्रकीर्ण वाद संख्या 555/2025 राजबली बनाम गनगन उर्फ हजरत अली आदि थाना फरेन्दा जनपद महराजगंज के मामले में पारित आदेश दिनांकित 28.11.2025 पुष्ट किया जाता है।

निर्णय की एक प्रति अविलम्ब विद्वान विचारण न्यायालय को प्रेषित की जावे। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः 24.08.2026

(**शैलेन्द्र वर्मा**)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
त्वरित न्यायालय, कोर्ट संख्या–1, महराजगंज
आई.डी. संख्या– यू.पी. 6426